न्यायमूर्ति टी.पी.एस. मान के समक्ष

दानवंती म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड, — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — उत्तरदाताओं

CRIMINAL MISC. NO. 51731 / M सन् *2004*

20 अप्रैल, 2007

दंड प्रक्रिया संहिता, *1973 — S.256* — शिकायत धारा *138* एन.आई. अधिनियम के तहत प्रारंभिक साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए निर्धारित — शिकायतकर्ता उपस्तित होने में विफल — अभियोजन के अभाव में शिकायत का निराकरण होना — दो समान शिकायतों में शिकायतकर्ता की उपस्थिति उसी दिन उसी न्यायल के समक्ष — प्रारंभिक चरण पर धारा *256* काम नहीं करता है जब जब शिकायत दर्ज की गई हो और प्रारंभिक साक्ष्य अभी तक दर्ज नहीं किए गये हो — शिकायत की बहाली के लिए पर्याप्त कारण —निचली अदालत द्वारा पारित आदेश कानून की नज़र में स्थायी नहीं है और अपास्त होने योग्य है।

अभिनिर्णित, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 256 केवल तभी प्रयोग में आती है जब शिकायत पर आरोपी की उपस्थिति के लिए समान जारी किए गये हो। प्रारंभिक चरण पर धारा *256* काम नहीं करता है जब जब शिकायत दर्ज की गई हो और प्रारंभिक साक्ष्य अभी तक दर्ज नहीं किए गये हो। ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता या उसकी और से किसी की गैर-उपस्थिति, विशेष रूप से एक तारीख, ना की बार-बार, से मजिस्ट्रेट को मजबूर नहीं नहीं अकड़ सकता की वो शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दे।

(पैरा 7)

आगे अभिनिर्णित, शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में पर्याप्त कारण बताए थे जिस्म शिकायत की बहाली की मांगी की गई थी। हालाँकि, उक्त आवेदन को बिना किसी वैध कारणों के खारिज कर दिया गया था। यह नोट

किया गया था कि शिकायतकर्ता अन्य शिकायतें जो सुरजीत सिंह और प्रेम पार्कश के खिलाफ दर्ज की गईं थी उन्मे बुलाने से आ गया होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह वर्तमान शिकायत के अभियोजन पक्ष में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और उसके प्रारंभिक साक्ष्य का उत्पादन नहीं कर रहा था।

(पैरा 10)

I) दानवंती म्युचुअल बेनिफिट्स लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 527

(न्यायमूर्ति टी.पी.एस. मान)

ए.के. अहलूवालिया, एडवोकेट, याचिकाकर्ता के लिए.

Y.P. मलिक, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, हरियाणा के लिए प्रतिवादी सं. 1.

आर.पी. ड्यूडेजा, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. *2* के लिए

निर्णय

न्यायमूर्ति टी.पी.एस. मान

(1) याचिकाकर्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा 22-10-1999 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है, जबकि अभियोजन के अभाव में शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया है और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा 20-9- को पारित आदेश को भी खारिज कर दिया गया है। 2004, शिकायत की बहाली के लिए अपने आवेदन को खारिज करते हुए।

(2)विचाराधीन शिकायतपरक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 138 के तहत 20-9-1999 को दायर की गई थी।प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल के समक्ष 22-10-1999 की तारीख तय की गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तदनुसार, उक्त न्यायालय ने अभियोजन के अभाव में शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया।

(3)शिकायतकर्ता द्वारा इस आधार पर शिकायत की बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया गया था कि वर्तमान शिकायत और शिकायतकर्ता द्वारा दायर सुरजीत सिंह और प्रेम प्रकाश के खिलाफ दो अन्य समान शिकायतें 22-

10- को उसी अदालत के समक्ष तय की गई थीं। 1999 शिकायतकर्ता न्यायालय में उपस्थित था।हालाँकि, वर्तमान शिकायत में इसकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि अन्य दो शिकायतों में इसका उल्लेख किया गया था, जिन्हें बाद में 22-12-1999 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।अगली तारीखों पर भी शिकायतकर्ता तीनों शिकायतों में उपस्थित होता रहा है।आख़िरकार, 6-6-2000 को।शिकायतकर्ता को कोर्ट रीडर द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान मामले में फ़ाइल उपलब्ध नहीं थी। शिकायतकर्ता को यह लग रहा था कि तीनों शिकायतों को एक ही तारीख पर एक साथ लिया जा रहा है और उसके बाद उसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया जा रहा है।तदनुसार, शिकायतकर्ता को बताया गया कि वर्तमान शिकायत स्थगित कर दी गई है।14-9-2000 को, उन्होंने फ़ाइल का पता लगाने के लिए एक आवेदन दायर किया जब उन्हें पता चला कि वर्तमान शिकायत 22-10-1999 को अभियोजन के अभाव में डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी।तदनुसार, उन्होंने शिकायत को बहाल करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने की प्रार्थना की, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल ने 20-9-2004 को इसे खारिज कर दिया।

(4)शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर दो अन्य समान शिकायतें भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित थीं।22-10-1999 को कैथल तथा उन शिकायतों में शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता की उपस्थिति अंकित की गई थी।दरअसल, शिकायतकर्ता को उसके वकील ने सूचित किया था कि सभी तीन मामले, यानी वर्तमान शिकायत के साथ-साथ सुरजीत सिंह और प्रेम प्रकाश के खिलाफ शिकायतें 22-10-1999 से 22-12-1999 तक स्थगित कर दी गई थीं। इस प्रकार, शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के वर्तमान शिकायतकर्ता के समक्ष 22-10-1999 को उपस्थित न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वह अन्य दो शिकायतों में उसी अदालत में उपस्थित था। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत का ध्यान निचली अदालत में उनके वकील द्वारा रखी गई कानून डायरी के विभिन्न पन्नों की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें कहा गया है कि 22-10-1999 को तीन शिकायतों की सूची के संबंध में

इसी तरह की टिप्पणियाँ की गई थीं। 22-12-1999, 27-3-2000 और 6-6-2000। इसके अलावा, 22-10-1999 को शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के उपस्थित न होने की स्थिति में, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अभियोजन के अभाव में शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं करना चाहिए था क्योंकि याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी और सुनवाई की आवश्यकता नहीं थी। शिकायत को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित किया जा सकता था।इसलिए, शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज करते समय 22-10-1999 को पारित आदेश को रद्द किया जाए और इसी तरह शिकायत की बहाली के लिए आवेदन को खारिज करते हुए दिनांक 20-9-2004 के आदेश को भी खारिज किया जाए।

(5)प्रतिवादी संख्या 2 की और से प्रस्तुत किया गया है कि आदेश धारा 256 के तहत पारित किया गया हैं। पीसी ने अभियोजन के अभाव में डिफ़ॉल्ट रूप से शिकायत को खारिज करते हुए अंतिम आदेश दिया था और इसलिए, पुनरीक्षण योग्य था। पुनरीक्षण के अभाव में उपरोक्त आदेशों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(6)मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मेरे सामने रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

(7)अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत में मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामले के रूप में सुनवाई शामिल है आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में संहिता) की धारा 256 में कहा गया है कि यदि शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी कर देगा जब तक कि कुछ कारणों से वह मामले की सुनवाई को किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित न समझे संहिता की धारा 256(1) का प्रावधान मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट देने की शक्ति प्रदान करता है यदि शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यह भी देखा जा सकता है कि संहिता की धारा 256 तभी लागू होती है जब किसी शिकायत पर आरोपी की उपस्थिति के लिए

समन जारी किया गया हो। यह धारा प्रारंभिक चरण में काम नहीं करेगी जब अदालत में केवल शिकायत दर्ज की गई हो और प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज किया जाना बाकी हो। ऐसी स्थिति में, शिकायतकर्ता या उसकी ओर से किसी की गैर-उपस्थिति, विशेष रूप से एक तारीख पर और बार-बार नहीं, मजिस्ट्रेट को डिफ़ॉल्ट रूप से शिकायत को खारिज करने का आदेश पारित करने के लिए मजबूर नहीं करती।

(8)यह स्वीकृत मामला है कि शिकायत केवल 22-9-1999 को दर्ज की गई थी और उसके बाद प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए 22-10-1999 तक स्थगित कर दी गई थी। 22-10-1999 को शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट को शिकायत को खारिज करने के बजाय किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर देना चाहिए था।

(9)जैसा कि ट्रायल कोर्ट के वकील की डायरी में रखी गई टिप्पणियों से स्पष्ट है, शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई तीन शिकायतें, एक सुरजीत सिंह के खिलाफ, दूसरी प्रेम प्रकाश के खिलाफ और तीसरी मदन लाल खन्ना के खिलाफ, 22-10- को नोट की गईं। 1999 को 22-12-1999 के लिए स्थगित कर दिया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सुरजीत सिंह और प्रेम प्रकाश के खिलाफ शिकायतों में शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता की उपस्थिति अंकित की गई थी। इस पर विश्वास नहीं किया जाएगा कि मदन लाल खन्ना के खिलाफ वर्तमान शिकायत में शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके वकील। ऐसा प्रतीत होता है कि चूक के कारण, 22-10-1999 को वर्तमान शिकायत में शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता या उसके वकील की उपस्थिति को नोट नहीं किया जा सका और तदनुसार, शिकायत को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था।

(10)शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन अनुबंध पी. 5 में पर्याप्त कारण दिए थे, जिसके तहत शिकायत की बहाली की मांग की गई थी। हालाँकि, उक्त आवेदन बिना किसी वैध कारण के खारिज कर दिया गया था। यह नोट किया गया कि शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह और प्रेम प्रकाश के खिलाफ दायर अन्य शिकायतों में कॉल पर उपस्थित हो सकता है, लेकिन

इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वर्तमान शिकायत के अभियोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपने प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

(11)प्रतिवादी संख्या 2 की आपत्ति के संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 22-10-1999 के आदेश के पारित होने के बारे में तब पता चला जब उसे न्यायालय के संबंधित क्लर्क द्वारा बताया गया। 14-9-2000 को. उन्होंने तुरंत शिकायत की बहाली के लिए 29-9-2000 को एक आवेदन दायर किया। यह आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा 20-9-2004 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 1-11-2004 को वर्तमान याचिका दायर कर उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी गयी। इस प्रकार, भले ही प्रतिवादी नंबर 2 की आपत्ति को वैध माना जाए, वर्तमान याचिका को एक पुनरीक्षण के रूप में माना जा सकता है, इसे उस तारीख से सीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है जब दिनांक 22-10-1999 को आक्षेपित किया गया था। शिकायतकर्ता की जानकारी में आया। अन्यथा भी, यह न्यायालय इन सभी तकनीकीताओं में नहीं जा सकता है क्योंकि निचली अदालत द्वारा पारित किए गए आदेश कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

(12) तदनुसार, याचिका स्वीकार की जाती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल द्वारा 22-10-1999 को और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 20-9-2004 को पारित आदेशों को रद्द किया जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कैथल को शिकायत को पुनर्जीवित करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश जारी किया जाता है।

अभिस्वीकृति- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देस्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यायहारिक और आधिकारिक निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देस्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव
प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी
(TraineeJudicialofficer)
नारनौल, हरियाणा